पृष्ठ सं०—..................

क्रम तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या—59 / 2020—21

1. रूदन देवी, पति—दिनेश्वर महतो, सा०—चाँद, पोस्ट—हुलहुण्डू, थाना—हटिया, (धुर्वा), जिला—राँची।..अपीलार्थी।

बनाम

1. झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय, बुण्डू।.....................................विपक्षी।

आदेश

23/03/2021

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०—279 R27 / 2018-2019/ बुण्डू में दिनांक—14 / 02 / 2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा	चौहदी
आमजोरा	बुण्डू	30	82	784	31 डी०	उ०—क्रेता नीज, द०—सहायक रास्ता, पू०—हाराधन हजाम, प०—सहायक रास्ता, विक्रेता
				875	26 डी०	उ०—विक्रेता नीजा, द०—सहायक रास्ता। पू०—हाराधन हजाम, प०—सहायक रास्ता, विक्रेता

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०—279 R27 / 2018-2019/ बुण्डू का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है, बँटवारा / अन्य हिस्सेदारों से अनापत्ति प्रमाण—पत्र की मांग की जा सकती है। अतएव इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त भूमि का घरेलु एवं मौखित बंटवारा के आधार पर जमीन बिक्रय किया गया है तथा सभी हिस्सेदार उसी बंटवारा के आधार पर अपने दखली हिस्सा का भूमि विक्रय किए हैं। अतः अनुरोध है कि इस अपील वाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय को नामांतरण स्वीकृत करने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए उनसे वांछित दस्तावेजों यथा बंटवारानामा / अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी जाँच—पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2021.08.23 13:16:58 +05:30
Location: 10.93.79.7

Sd/- 23/03

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Sd/- 23/03

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।